6/12/2017 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित।

बहस एवं पत्रावली सुनी गई। पत्रावली का उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत उत्तर नहीं दिया गया है तथा इस अधिकार मूल वाद में सादर सम्मन से हम किसी जाना संभव है पक्षकारों में विवाद वृद्धि रोका जाना उचित है अतः आदेश आदिशोधा दिनांक 10.5.2013 कार्यवाही किया जाता है तथा मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षीगणों स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंध किया जाता है कि मौजा बालियो की ढाणी की आ० नं० 126, 140, 141, 142, 143 150 बिघा 6 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा आ.नं. 20, 21, 30, 31, 32, 35/1, 38 39, बिघा 8 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, आ.नं. 18, 19, 33, 34, 37, 40 बिघा 6 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा आ० नं० 125, 144, 145, 149 बिघा 4 कुल रकबा 09 बिस्वा भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें उक्त आवादी में किसी भी भू माफिया को दखल नहीं रहेगा, वर्ष, विपक्षीगण प्रतिनिधि से कोई न छेड़छाड़ करें। निर्धारित पर सुनवाई करावें। पत्रावली फैसल शुमार किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार किया जाता मूल वाद की जाव।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:07:53 IST
Reason: SelfAttested